अ/2021/02/26 सा/21- दि शा

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक/राशिके/आर.टी.ई./2012/1207 भोपाल, दिनांक 1.2.12

प्रति

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले, मध्य प्रदेश।

विषयः—प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश देने के संबंध में।

संदर्भः—राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र.राशिके/आर.टी.ई./2011/11185 भोपाल दिनांक 16.12.11

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, जिसके द्वारा सत्र 2012—13 के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्राईवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री—प्राइमरी की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रवेश आवेदन के लिये अंतिम तारीख 25.01.2012 तथा लाटरी द्वारा बच्चों के चयन तारीख 31.01.2012 निर्धारित की गई थी।

कृपया नीचे दिये गये प्रारूप में जानकारी दिनांक 8.2.2012 तक अनिवार्य रूप से मेल आईडी rskrtecell@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला	कुल प्राईवेट स्कूलों की संख्या	प्राईवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु 25 प्रतिशत सीटों की संख्या	प्राईवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्राईवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु 31 जनवरी 2012 को लाटरी द्वारा चयनित बच्चों की संख्या

कृपया समय-सीमा का ध्यान रखे।

1.2.12
(डॉ. अरूणा गुप्ता)
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क./राशिके/आर.टी.ई./2012/1208 भोपाल, दिनांक 1.2.12

प्रतिलिपिः—

1. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.2.12
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र